#### <u>न्यायालय: - द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)</u> श्र<u>ंखला न्यायालय बैहर</u>

(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

#### नियमित व्यवहार अपील क्र.— 16/2017

Filling No-. R.C.A./147/2017 संस्थित दिनांक -27.07.2015

रघुलाल आयु 57 वर्ष **पिता** अंतलाल जाति मरार निवासी–ग्राम कुरेण्डा तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट **– <u>अपीलार्थी</u>** 

# -// <u>विरूद</u> //-

- 1— 🔪 पंचम आयु 40 वर्ष पिता सम्पु जाति गोंड 🔨
- 2— धरमसिंह आयु 58 वर्ष पिता तिवादी जाति गोंड दोनों निवासी—ग्राम कुरेण्डा तहसील प्रसवाड़ा जिला बालाघाट

3— म०प्र० शासन द्वारा :--

कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)— — — <u>उत्तरवादीगण</u>

{-यायालयः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा व्य. वाद कमांक 61ए/2014 रघुलाल बनाम पंचम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.06.2015 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी। श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक—1, 2 उत्तरवादी क्रमांक 3 अनुपस्थित।

-2-----

### -/// निर्णय ///-(आज दिनांक 06 जुलाई 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (श्री सिराज अली) द्वारा व्यवहार वाद कमांक 61ए/2014, रघुलाल बनाम पंचम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 29.06.2015 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

- 2. विचारण न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद का सार यह है कि वादी तथा प्रति.क. 1, 2 ग्राम कुरेण्डा तहसील परसवाडा जिला बालाघाट के स्थायी निवासी होकर कृषक है। प्रति.क. 3 को वादभूमि कृषिभूमि होने से पक्षकार बनाया गया है। उच्चतम कृषि जोत अधिनियम का कोई प्रकरण इस भूमि के संबंध में नहीं चला है, न ही विचाराधीन है। खसरा क. 440/6 रकबा 1.619 हेक्टे. {4 एकड़} भूमि के उत्तर में नंदिकशोर की भूमि, दक्षिण में अंतराम की भूमि, पूर्व में धरमिसंह की भूमि और पश्चिम में शासन की भूमि स्थित है। उक्त भूमि सन् 1980 में रामिसंह पिता मंगलिसंह से वादी ने कय कर स्वत्व व कब्जा प्राप्त किया था। वादी का वर्ष 1982–83 से वाद प्रस्तुति दिनांक तक शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है।
- 3. प्रतिवादीगण के पूर्वजों को वर्ष 1980—81 में शासकीय भूमि नंबर 457/3 रकबा 2.50 एकड़ पट्टे पर प्रदाय की गई थी। इस भूमि पर सम्पू ने लगभग 6 वर्षों तक कृषि की। प्रतिवादीगण ने होश संभाला तबसे वादभूमि पर कास्त करना बंद कर दिया। मार्च 2014 में प्रतिवादीगण ने हल्का पटवारी को साथ लाकर अपनी जमीन होना कहकर अनाधिकृत रूप से वादी के स्वत्व व आधिपत्य की उक्त भूमि में से 1.50 एकड़ भूमि को अपनी भूमि कहकर नाप कराया जो अवैधानिक है। जबरन प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादीगण गांव में कहते है कि वे वादी की भूमि पर कब्जा करके रहेगें, यदि वह रोकेगा तो जान से खत्म कर देगें। वादी ने सीमांकन हेतु आवेदन पत्र पेश किया, किंतु राजस्व निरीक्षक ने विवादित भूमि का नक्शा नहीं काटा, प्रतिवादीगण राजस्व अधिकारी से मिलकर वादी की भूमि हड़पना चाहते है, इसलिए स्थायी निषधाज्ञा हेतु दिनांक 28.03.14 को वादकारण न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में उत्पन्न होने पर 2,000/—रू. मूल्यांकन कर निर्धारित न्याशुल्क चस्पा कर वाद पेश किया और याचना की गई दावा डिकी किया जावे।
- 4. प्रति.क. 1 पंचम ने वादपत्र में लेख कंडिका क्रमांक 2 लगायत 11 के अभिवचन को गलत होने से अस्वीकार लेख वादोत्तर में किया है तथा विशेष कथन करते हुए अभिवचन किया है कि प्रतिवादी ने सीमांकन हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन लगाया था जिसका सीमांकन राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने दिनांक 25.02.2014 को किया था। खसरा क. 457/3 की चर्तुसीमा अवगत कराकर सीमा चिन्ह लगाए गए थे। इस भूखंड

रकबा 2.50 एकड़ में से 1.50 एकड भूमि पर वादी रघुलाल मरार का अवैध कब्जा पाया गया। पंचनामा फील्डबुक आदि बनाकर न्यायालय पेश की गई। वादी और प्रतिवादी दोनों की भूमि लगी हुई है। इस तथ्य को वादी ने जानबूझकर छिपाया है। वादी ने अपनी भूमि का कभी भी सीमांकन नहीं कराया है। वादी का वाद सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

- 5. प्रति.क. 2 ने पृथक् वादोत्तर पेश किया है। मूल वादपत्र के अभिवचन को गलत होने से इंकार किया जाना वादोत्तर में लेख किया है। विशेष कथन लेख करते हुए वादी द्वारा झूठा वाद प्रति.क. 2 के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रति.क. 2 ने वादी की किसी भी भूमि पर कब्जा नहीं किया है। वादी को डर है कि प्रति.क. 2 अपनी भूमि का सीमांकन कराएगा तो उसका अवैध कब्जा निकलेगा। वादी ने जानबूझकर गलत चर्तुसीमा वादपत्र में लेख की है। वाद सव्यय खारिज किए जाने की याचना की है।
- 6. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी / वादी द्वारा पेश मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है तथा उत्तरवादी पक्ष की साक्ष्य पर अत्यधिक विश्वास करते हुए निर्णय एवं डिकी पारित की है। सीमांकन के दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी के कब्जे का निष्कर्ष निकाला गया है। दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बिना विश्वास किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी का अवलोकन न कर त्रुटिपूर्ण निर्णय किया है। पक्षकारों को सुनने का पूर्ण अवसर न देकर त्रुटि की है। त्रुटिपूर्ण नक्शा होने से अपीलार्थी पर बंधनकारी नहीं है। विधिक सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित है। अपीलार्थी और उत्तरवादी कमांक 1 की भूमि सीमा लगी होना निष्कर्ष निकालकर तथ्यात्मक भूल की है। वादप्रश्न कमांक 1 को प्रमाणित मानकर त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर निर्णय आज्ञप्ति दिनांक 29.06.15 को अपास्त कर दावा डिकी किए जाने की याचना की है।

# 7. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्य.वा.क. 61ए/2014 रघुलाल बनाम पंचम वगैरह में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.06.15 में तथ्य की, विधि की त्रुटि तथा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किए जाने से उक्त निर्णय एवं आज्ञप्ति हस्तक्षेप योग्य है ?

8. अपीलार्थी की ओर से श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क कर अपील मेमो में लेख आधारों के अनुरूप तर्क किया है कि अपीलार्थी ने वर्ष 1980 से क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 440 / 6 रकबा 4 एकड़ पर स्वत्व और आधिपत्य प्राप्त किया है तबसे लगातार वाद प्रस्तुति तक वह आधिपत्य में रहा है और आज भी आधिपत्य में है। प्रतिवादी क्रमांक 1 पंचम अथवा उसके पिता ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में सन् 1980—81 से कभी कोई विवाद नहीं किया है। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 और उसके साक्षियों ने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि पूर्व में कोई विवाद नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा पेश सीमांकन आवेदन के आधार पर राजस्व अधिकारी सीमांकन नहीं कर रहे है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर अत्यधिक विश्वास कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अपील स्वीकार कर दावा डिकी किए जाने की याचना की है, को विचार में लिया गया।

- 9. अभिलेख पर उभयपक्षों द्वारा अपनी—अपनी साक्ष्य पेश करते समय आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के अधीन रघुलाल (वा.सा.1), ग्यारसीबाई (वा.सा.2), टीकाराम (वा.सा.3), धनिराम (वा.सा.4), शांतिबाई (वा.सा.5) के मुख्य कथन पेश किए है। (वा.सा.1) एवं (वा.सा.2) का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है, किंतु आभिर ट्रेडिंग कॉपॉरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा टीप अंकित न किए जाने से मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। शेष (वा. सा.3), (वा.सा.4) एवं (वा.सा.5) का परीक्षण न्यायालय के समक्ष न कराने से और प्रतिवादी / उत्तरवादी को प्रतिपरीक्षण का अवसर न दिए जाने से इन तीनों साक्षियों के मुख्य कथन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य न होने से विचार में नहीं लिए जा रहे है।
- 10. रघुलाल (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष शपथ पर किए गए कथन के पद कमांक 6 में साक्ष्य दी है कि उसने विवादित भूमि का राजस्व नक्शा प्रमाणित प्रति प्र.पी. 1, किस्तबंदी खतौनी वर्ष 1954—55 की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी.2, खसरा पांचसाला वर्ष 1974—75 से 1978—79 की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी. 3, खसरा पांचसाला वर्ष 1979—80 से 1983—84 की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी. 4, खसरा पांचसाला वर्ष 1984—85 से 1988—89 की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी. 5, राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी. 6, प्र.पी. 7, वर्तमान खसरा नकल वर्ष 2013714 की प्रमाणित प्रतिलिप प्र.पी. 8 पेश की है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 8 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि

शासकीय भूमि पर उसने (सम्पू) 5—6 वर्ष तक कास्त किया है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने रामिसंह पिता मंगलिसंह से वर्ष 1980 में विवादित भूमि क्य की है। स्वतः कहा कि सीमांकन के लिए आवेदन किया था किंतु राजस्व निरीक्षक ने टाल—मटोल कर साक्षी की भूमि का सीमांकन नहीं किया।

- 11. ग्यारसीबाई (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 6 में स्वीकार किया है कि पंचम का पिता सम्पू था, सम्पू फौत हो चुका है। यह स्वीकार किया है कि सम्पू ने अपने जीवनकाल में शासकीय भूमि पट्टे वाली पर अपना कब्जा रखा था। पद कमांक 7 में स्वीकार किया है कि ख.क. 457/3 की भूमि से लगी हुई भूमि ख.क. 440/6 है। ख.क. 440/6 की भूमि के पश्चिम में सरकारी भूमि है, पूर्व में अंतराम की भूमि है। यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी की जमीन को अपनी जमीन कहकर नाप कराए थे। नाप के समय सीमावर्ती कृषक उपस्थित थे। यह स्वीकार किया है कि उस समय रघु भी गया था। यह स्वीकार किया है कि ख.क. 457/3 में से डेढ़ एकड़ भूमि पर पंचम का नाम है। नाप के समय पटवारी ने चिन्ह लगा दिया था। डेढ़ एकड़ भूमि पर नाप के समय रघु का कब्जा पाया गया था।
- 12. पंचम (प्रति.सा.1) का मुख्य कथन <u>आमिर ट्रेडिंग</u> कॉ पॉ रेशन कंपनी विरूद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा टीप अंकित न किए जाने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। न्यायालय के समक्ष शपथ पर किए गए कथन के पद कमांक 8 में मूल ऋण पुस्तिका भाग—एक, दो को प्र.डी.1, सीमांकन प्रतिवेदन प्र.डी. 2, सीमांकन पंचनामा दिनांक 25.02.2014 की प्रतिलिपि प्र.डी. 3, सीमांकन के दौरान जारी किया गया नक्शा की सत्यप्रति प्र.डी. 4, फील्डबुक दिनांक 25.02.2014 की सत्यप्रति प्र.डी. 5 पेश करना कथन किया है।
- 13. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 9 में स्वीकार किया है कि ख.क. 457/3 की शासकीय भूमि साक्षी के पिता को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। तत्संबंध में राजस्व अधिकारी का आदेश प्रकरण में पेश नहीं किया है। पद कमांक 10 में स्वीकार किया है उक्त भूमि साक्षी के पिता को 1980 में प्राप्त हुई थी। साक्षी के पिता वर्ष 2012 में फौत हो गए है। इस भूमि के संबंध में कोई विवाद होने का प्रकरण पेश नहीं हुआ है। यह स्वीकार किया है कि ख.क. 457/3, 440/6 को लेकर साक्षी से विवाद हुआ है। यह स्वीकार किया है कि वादी ख.क. 440/6 की भूमि को पूर्व में जितने रकबे में वह

कमाता था उतने पर ही आज भी कमा रहा है। स्वतः कहा कि वादी की भूमि से लगी हुई साक्षी की भूमि को भी कमा रहा है।

- 14. पंचम (प्रति.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में स्वीकार किया है कि ख.क. 457/3 की भूमि को उसने कभी कास्त नहीं किया। स्वतः कहा कि उसके पिता कास्त करते थे। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने अपने शपथपत्र में दो साल के किए उक्त भूमि को पड़त छोड़ दिया था उस समय वादी ने साक्षी की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया, के संबंध में साक्षी ने और उसके पिता ने कोई प्रकरण वादी के विरुद्ध पेश नहीं किया।
- 15. बरातीलाल (प्रति.सा.2), फूलिसंह (प्रति.सा.3) के प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य का अध्ययन कर विचार में लिया गया। इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में उपलब्ध साक्ष्य से प्रतिवादी के उपरोक्त कथन का खंडन नहीं होता है तथा वादी / अपीलार्थी को इन साक्षियों की साक्ष्य से वाद के तथ्यों की पुष्टि हेतु सहायता प्राप्त नहीं होती है।
- 16. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य तथा प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 8 एवं प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 5 की दस्तावेजी साक्ष्य के सूक्ष्म अध्ययन से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में वादभूमि शासकीय होकर प्रति.क. 1 के पिता सम्पू को पट्टे पर प्राप्त होने से तथा प्रति.क. 1 के द्वारा दो वर्ष के लिए भूमि को पड़त छोड़ दिए जाने की अवधि में वादी/अपीलार्थी के द्वारा कब्जा कर लिए जाने से सीमांकन में प्रतिवादी क्रमांक 1 की 1.50 एकड़ भूमि पर वादी का अवैध आधिपत्य प्रमाणित हुआ है, को निष्कर्षित कर तथ्य की, विधि की और साक्ष्य के मूल्यांकन की त्रुटि नहीं की है।
- 17. इस न्यायालय द्वारा वादपत्र, वादोत्तर, वादप्रश्न, उभयपक्ष की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अध्ययन किया गया है। प्रति.क. 1/उत्तरवादी क. 1 जाति का गोंड होकर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। प्रति.क. 1 के पिता सम्पू को ख.क. 457/3 शासकीय पट्टे पर जिसे सामान्य चलन की भाषा में भूमिदान से भी जाना जाता है, सरकार से प्राप्त हुई है, इसलिए शासकीय भूमि का भाग ख.क. 440/6 कृषिभूमि के रकबे में शामिल नहीं हो सकता। अभिलेख पर प्रतिवादी पक्ष ने सीमांकन रिपोर्ट, फील्डबुक, नक्शा की प्रतियां पेश की है, से 1.50 एकड़ रकबे पर वादी/अपीलार्थी का अवैध कब्जा पाया गया है, के विरूद्ध वादी ने खंडन में कोई साक्ष्य नहीं दी है। इस प्रकार यह 1.50 एकड़ रकबा सरकार से प्रति.क. 1 के पिता सम्पू

जाति गोंड को शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई है जिस पर पट्टेदार को पूर्ण अधिकार है, केवल वह विक्रय नहीं कर सकता। भूमि का यह विवादित भाग अनुसूचित जनजाति के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि होने से धारा 165 [6] [1] (एक) {दो} एवं उपधारा ७ (क) म.प्र. भू—राजस्व संहिता १९५९ के अधीन एकाकी अधिकार उस जिले के कलेक्टर को है। सिविल न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार धारा 257 िछ } म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 के अधीन नहीं है, मूलतः विधि के अधीन वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

- अतः वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश अपील गुणदोष पर सारहीन होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। परिणामतः प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।
  - उभयपक्ष का वाद व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
  - अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार दे<mark>य हों।</mark>
  - तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जावे। {स}
- निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे🔣

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

Sd/-(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर Allered offenty and Allered to

#### DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35) CIVIL APPEAL No. **16 OF 2017** 

IN THE COURT OF माखनलाल झोड़,द्वि.अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

रघुलाल आयु 57 वर्ष पिता अंतलाल जाति मरार निवासी–ग्राम कुरेण्डा तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट — — <u>अपीलार्थी</u>

# -// <u>वि</u>रूद्ध 🏑

- 1- पंचम आयु 40 वर्ष पिता सम्पु जाति गोंड
- 2— धरमसिंह आयु 58 वर्ष पिता तिवादी जाति गोंड दोनों निवासी—ग्राम कुरेण्डा तहसील परसवाडा जिला बालाघाट

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट dated the 29 day 06-2015 Civil Suit No.61A... of 2014.

This appeal coming on for hearing on the  ${\bf 05}$  day of July  ${\bf 2017}$  before  ${\bf me}$  in the presence of-

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता.for the appellant and of श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता for the respondent No. 1, 2

It is ordered and decreed that -

वादी / अपीलार्थी की ओर से पेश अपील गुणदोष पर सारहीन होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। परिणामतः प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

- (अ) उभयपक्ष का वाद व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
- [ब] अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- [स] तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 210/- are to be Paid by the **Appellants.** 

The cost of the original suit be paid by the

Given under my hand and the seal of the Court, this 06 day of July. 2017.

सही / -

(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

### COSTS OF APPEAL

|                            | Appellant  | Amount | Respondent                                    | Amount |
|----------------------------|--|--------|---|--------|
| 1.                         | Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions | 120.00 | -   | - ^    |
| 2.                         | Stamp for Power  | 10.00  | Stamp for Power                               | 10.00  |
| 3.                         | Stamp for Exhibits                                     | -      | Stamp for Petition                            | XX 31. |
| 4.                         | Service of Processes                                   | 06.00  | Service of Processes                          | 6.0    |
| 5.                         | Pleader's Fee on Rs(प्रमाण पत्र पेश नहीं)              | 200.00 | Pleader's fee on Rs<br>(प्रमाण पत्र पेश नहीं) | 200.00 |
| 6.                         | Court Fee on Interim App.<br>& Affidavit.              | 10.00  | Court Fee on Interim<br>App. & Affidavit.     | -      |
| 7.                         | Translation Fee  | -      | Mada  |        |
|                            | Total :-   | 346.00 | Total :-                                      | 210.00 |
| ( तीन सौ छयालिस रू. सिर्फ) |  |        | ( दो सौ दस रू.सिर्फ)                          |        |

Sd/-

(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

